+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(केंद्रीय बजट - 2025-26)

(March 2025)

(Part II)

TOPICS TO BE COVERED

- बजट 2025-2026: भारतीय अवसंरचना के अगले मोर्चे की ओर प्रस्थान
- सौर ऊर्जा के क्षेत्र के बढ़ते कदम
- मेक इन इंडिया 2.0

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

बजट 2025-2026: भारतीय अवसंरचना के अगले मोर्चे की ओर प्रस्थान

परिचय:

- भारत की अवसंरचना की कहानी बदल चुकी है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 60 प्रतिशत बढ़ चुका है। देश की 99 प्रतिशत आबादी ग्रामीण सड़कों से जुड़ चुकी है। नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता तेजी से बढ़ कर कुल ऊर्जा का 47 प्रतिशत हो गई है।

- केंद्रीय बजट 2025-26 और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पेश किया गया है। भारत सरकार ने अवसंरचना आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की गति को आगे बढ़ाते हुए जलपोत निर्माण की ओर ध्यान दिया है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

2014-2024 की विरासत: प्रगति की बुनियादें

- 2014 से 2024 के बीच भारत में अवसंरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 60% बढ़कर 91,287 किमी से 1,46,145 किमी हो गया, जिससे माल ढुलाई खर्च में 15% की कमी आई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3.74 लाख किमी सड़कें बनीं, जिससे 7.55 लाख बसावटें जुड़ीं।
- बंदरगाहों की माल निर्वहन क्षमता दोगुनी होकर 1,630 मिलियन टन हो गई और वैश्विक जहाजरानी रैंकिंग में भारत 44वें से 22वें स्थान पर पहुंचा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.18 करोड़ रिहायशी इकाइयां दी गईं, और मेट्रो रेल नेटवर्क 248 किमी से बढ़कर 993 किमी हो गया।
- कोविड के बाद आर्थिक पुनरुत्थान में अवसंरचना पर पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण रहा, जिसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 38.8% रही। इन निवेशों ने बजट 2025-26 के लक्ष्यों की मजबूत बुनियाद तैयार की।

भारतीय अवसंरचना का नवयुग (2014-2024):

- 2014 से भारतीय अवसंरचना में हुए बुनियादी सुधारों ने रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्रों में क्रांति ला दी। 2016 में लागू रियल एस्टेट विनियमन और विकास

अधिनियम (RERA) ने जमीन-जायदाद बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई। इसके साथ, GST ने उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत किया और निर्माण मूल्य श्रृंखला को सुचारु बनाया। राज्यों में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों की स्थापना, परियोजना पंजीकरण की अनिवार्यता और सख्त अनुपालन प्रावधानों ने एक ठोस ढांचा तैयार किया, जिससे संस्थागत निवेश बढ़ा और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हुआ।

- 2017 में GST का क्रियान्वयन से लॉजिस्टिक्स खर्च घटे और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हुआ। निर्माणाधीन संपत्तियों और किफायती आवास परियोजनाओं के लिए तार्किक जीएसटी दरों ने मांग बढ़ाई और सरकार के "सबके लिए घर" मिशन को समर्थन दिया। साथ ही, नोटबंदी और बेनामी सौदा कानून ने निर्माण क्षेत्र को औपचारिक बनाया और संपत्ति सौदों में पारदर्शिता बढ़ाई।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारतीय रियल एस्टेट बाजार तेजी से विकास के ठोस चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसका प्रमाण रिकॉर्ड बिक्री और निरंतर मूल्य वृद्धि है। संस्थागत निवेश बढ़ा है, निजी इक्विटी नए स्तर पर पहुंची है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति जैसी पहलकदमियों से श्रेणी 1 और

2 शहरों में संयोजकता मजबूत हुई, परिवहन व्यय घटा, और रियल एस्टेट विकास को नई मजबूती मिली।

बजट 2025-26: भारत की अवसंरचना यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव

- बजट 2025-26 भारत की अवसंरचना यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें कई साहसिक पहलें की गई हैं:
  - ➢ **जलपोत निर्माण को अवसंरचना का दर्जा** देकर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - ➢ **1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चैलेंज** कोष स्मार्ट शहरों, जल-स्वच्छता अवसंरचना और परिवहन विकास को वित्तीय सहायता देगा, जिससे शहरी जीवन में सुधार होगा।
  - ➢ **मेट्रो रेल विकास योजना** के तहत हर साल 300 किमी नई मेट्रो लाइन बिछाने का लक्ष्य, जिससे 2030 तक कुल लंबाई 1500 किमी हो जाएगी और 23 शहरों में शहरी परिवहन बेहतर होगा।
  - ➢ **पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0** में 80 लाख किफायती रिहायशी इकाइयों के निर्माण हेतु ₹2.2 लाख करोड़ का आवंटन।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

बजट 2025-26 में जहाज निर्माण को बढ़ावा:

समुद्री अवसंरचना तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है?

- उल्लेखनीय है कि भारत, अपने विशाल भूभाग के बावजूद, एक द्वीपीय अर्थव्यवस्था की तरह कार्य करता है, क्योंकि उसके 95% से अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संचालन समुद्री मार्गों से होता है।
- भूमि मार्गों से सीमित व्यापार होने के कारणों में चीन के साथ हिमालय एक व्यापार अवरोध है; पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों की वजह से व्यापार नगण्य है; वहीं अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी भूमि व्यापार बहुत कम है।
- ऐसे में यह भौगोलिक और भू-राजनीतिक स्थिति समुद्री व्यापार मार्गों को मजबूत करने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारत में समुद्री अवसंरचना तंत्र की ढुलमुल वस्तुस्थिति:

- भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन नौवहन क्षेत्र में अनेक गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। चर्चा आमतौर पर बंदरगाह लॉजिस्टिक्स तक सीमित रहती है, जबकि जहाज निर्माण, स्वामित्व और पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- उल्लेखनीय है कि भारत के पास 1,526 जहाज (13.75 मिलियन सकल टन क्षमता) हैं, लेकिन केवल 487 जहाज ही विदेशी व्यापार में संलग्न हैं। वहीं वैश्विक जहाज स्वामित्व में भारत की हिस्सेदारी मात्र 1.2% है, जबकि ग्रीस (17.8%); चीन (12.8%) एवं जापान (10.8%) से ज्यादा है। ऐसे में भारत को नौवहन उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए समग्र रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।
- भारत में जहाज निर्माण की स्थिति और भी ख़राब है, जहाज निर्माण में भारत के पास वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का केवल 0.07% हिस्सा है, जबकि चीन का इस क्षेत्र में 46.6% हिस्सेदारी के साथ इस क्षेत्र में वर्चस्व कायम है, उसके बाद दक्षिण कोरिया (29.2%) और जापान (17.2%) का स्थान आता है। जबकि कंटेनर निर्माण क्षेत्र में भी चीन का लगभग एकाधिकार है।
- इसका आर्थिक प्रभाव अत्यंत गंभीर हैं। भारत अपने लगभग 95% अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर करता है। 2022-23 में विदेशी कंपनियों को समुद्री माल ढुलाई शुल्क के रूप में 75 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया। अनुमान है कि यह जल्द ही 100 बिलियन डॉलर से अधिक पर पहुंच जायेगा।

भारत के पास बेहतर समुद्री अवसंरचना के लिए मजबूत आधार उपलब्ध:

- हालांकि, भारत के पास समुद्री प्रभुत्व के लिए मजबूत आधार उपलब्ध हैं। देश ने परमाणु पनडुब्बियों और विमान वाहकों के निर्माण में उन्नत क्षमता विकसित की है।
- वैश्विक नौवहन कार्यबल में भारत तीसरे स्थान पर है, जो 10-12% नाविक आपूर्ति करता है। प्रमुख जहाज निर्माण देशों में वृद्ध आबादी और जनसांख्यिकीय चुनौतियों के बीच भारत की स्थिति और मजबूत हो रही है।

बजट 2025-26 में जहाज निर्माण को लेकर पहले:

- भारत के बजट 2025 में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़े जहाजों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है। इस निर्णय के तहत ₹25,000 करोड़ के समुद्री विकास कोष (MDF) की स्थापना की गई है, जिससे जहाज निर्माण क्लस्टर और अनुसंधान पहलों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
- वर्तमान में भारत की वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में केवल 0.06% हिस्सेदारी है और वह 22वें स्थान पर है, लेकिन सरकार ने 2030 तक शीर्ष 10 देशों में शामिल होने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

- भारत की जहाज निर्माण नीति केवल वित्तीय प्रोत्साहनों तक सीमित न रहकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें जहाज के घटकों पर कस्टम ड्यूटी छूट और शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट्स जैसी पहल शामिल हैं। ये उपाय घरेलू रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैप मूल्य का 40% प्रतिपूर्ति प्रदान करते हैं।
- उल्लेखनीय है कि यह रणनीति जहाज निर्माण उद्योग की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ दीर्घकालिक रोजगार लक्ष्यों को भी साधती है, जिससे 2.1 लाख प्रत्यक्ष और 14 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होने की संभावना है। विशेष रूप से गुजरात, केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2030 तक 50 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

भारत के समुद्री क्षेत्र में सुधारों के लिए विधायी पहले:

- भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सुधार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में निम्नलिखित चार विधेयक पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन बोझ कम कर व्यापार को सुगम बनाना है:
  - ➢ **तटीय नौवहन विधेयक, 2024** तटीय व्यापार के लिए नियामक ढांचा तैयार कर पारदर्शिता बढ़ाने पर केंद्रित है।

- **मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024** पोत स्वामित्व पात्रता का विस्तार कर लचीले वित्तपोषण विकल्प प्रदान करता है।
- **समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024** कानूनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर विवाद समाधान को सरल बनाता है।
- **बिल ऑफ़ लैडिंग विधेयक, 2024** पुराने औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर शिपिंग दस्तावेजों को आधुनिक बनाता है।

निष्कर्ष:

- भारत के शिपिंग क्षेत्र में सुधार आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। 2025 के बजट में जहाज निर्माण को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने और विनियामक सुधारों पर जोर दिया गया है। ये पहल न केवल लाखों नौकरियों का सृजन करेंगी बल्कि भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत कर वैश्विक व्यापार में इसकी स्थिति को सुदृढ़ करेंगी, जिससे देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की गति मिलेगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सौर ऊर्जा के क्षेत्र के बढ़ते कदम:

परिचय:

- भारत में सौर ऊर्जा क्रांति तेजी से बढ़ रही है, और अक्टूबर 2024 तक यह विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। देश ने 2030 तक 300 GW स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए जन-जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को अपनाकर प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सकती है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन पर भी शोध जारी है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2024 तक 232 GW से अधिक हो चुकी है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 97.86 GW है। 2014 में यह मात्र 2.8 GW थी, जो 2024 तक 3495% बढ़ी है, दर्शाता है कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है।

सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास:

- **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** वर्ष 2024 में, शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य मार्च, 2027 तक देश के एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से आच्छादित करना है। इस योजना में घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
- **कुसुम (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना:** इस योजना का मुख्य फोकस कृषि सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जीकृत करने और किसानों को स्वयं सौर पंप उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इससे सतत कृषि को जहां एक ओर बढ़ावा मिलेगा, वहीं ग्रिड पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:** सौर सेल, मॉड्यूल और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना का विस्तार किया गया है।

संस्थागत स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा:

- भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिसे संस्थागत और घरेलू स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें 'ग्रीन एनर्जी'

को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। निजी संस्थान भी कम उत्पादन लागत और न्यूनतम रखरखाव खर्च के कारण इसे तेजी से अपना रहे हैं। कुछ स्थानों पर 70-90% बिजली की जरूरत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से पूरी हो रही है।

- आईआईटी मद्रास का रिसर्च पार्क इस दिशा में एक अग्रणी उदाहरण है, जहां 90% बिजली सौर और पवन ऊर्जा से प्राप्त हो रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा का बैटरियों में भंडारण:

- सौर ऊर्जा के निरंतर उपयोग और 24x7 बिजली आपूर्ति के लिए बैटरी भंडारण प्रणाली महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने बजट में ग्रिड-स्केल बैटरियों के विकास पर जोर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा संग्रहण संभव होगा।
- IIT मद्रास का रिसर्च पार्क इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जहां बैटरियों की लागत कम करने पर शोध जारी है। वैज्ञानिकों ने एक मेगावाट की स्टोरेज क्षमता विकसित की है, जिससे 4 घंटे तक का बैकअप मिलता है और इसे तीन गुना बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, भारत 2030 तक 34 GW (136 GWh) बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता प्राप्त कर सकता है।

- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि यह क्षमता 140-200 GWh तक पहुंच सकती है। 2040 तक की अवधि के लिए, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) को दुनिया में सबसे अधिक लक्ष्य माना जा रहा है, जो वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का एक प्रमुख घटक बन सकती है।

घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा भंडारण:

- भारत में घरेलू स्तर पर पारंपरिक लेड-एसिड बैटरियों वाले सौर इन्वर्टरों का उपयोग किया जा रहा है, जबकि उच्च भंडारण क्षमता वाली उन्नत बैटरियां भी अब बाजार में उपलब्ध हैं।
- भारतीय सौर विद्युत प्रणाली और इन्वर्टर बाजार 2023 में 84.4 GW था और 2032 तक इसके 609.5 GW तक पहुंचने की संभावना है, जिससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से विकास का संकेत मिलता है।

देश में पीवी सोलर सेल का उत्पादन:

- भारत में पीवी सोलर सेल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है। सरकार उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत प्रोत्साहन दे रही

है। यह योजना 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना और भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है।

अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बजट में किये गए नीतिगत सुधार:

- बजट में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें आयातित सौर सेल और मॉड्यूल पर टैरिफ कम करना और सरकारी परियोजनाओं के लिए देश में उत्पादित मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य बनाना शामिल है। पीएलआई योजना का विस्तार कर सौर सेल और मॉड्यूल के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- इस योजना का कुल बजट 24,000 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रथम चरण के लिए 4,500 करोड़ और द्वितीय चरण के लिए 19,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य 65 GW सौर पीवी उत्पादन क्षमता स्थापित करना है।
- इससे भारत की आयातित सौर उपकरणों पर निर्भरता कम होगी और घरेलू उत्पादन अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। सरकार और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से भारत 2030 से पहले ही 300 GW सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर सकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मेक इन इंडिया 2.0:

परिचय:

- मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना, व्यापार करना आसान बनाना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

- इस पहल का उद्देश्य निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल अवसंरचना तैयार करना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सकारात्मक सोच के माध्यम से सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है।
- अपनी शुरुआत के बाद से, मेक इन इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर ध्यान:

- उल्लेखनीय है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय कर रहा है, जबकि वाणिज्य विभाग सेवा क्षेत्रों का समन्वय कर रहा है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत आने वाले 27 क्षेत्रों की सूची निम्नलिखित है:
- **विनिर्माण क्षेत्र:**

1. एयरोस्पेस और रक्षा
2. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
3. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
4. जैव-प्रौद्योगिकी
5. पूंजीगत माल
6. वस्त्र एवं परिधान
7. रसायन और पेट्रो रसायन
8. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)
9. चमड़ा एवं जूते

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

10. खाद्य प्रसंस्करण
11. रत्न एवं आभूषण
12. शिपिंग
13. रेलवे
14. निर्माण
15. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

- **सेवा क्षेत्र:**

1. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
2. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
3. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
4. परिवहन और रसद सेवाएं
5. लेखा और वित्त सेवाएं
6. ऑडियो विजुअल सेवाएं
7. कानूनी सेवाओं

8. संचार सेवाएं
9. निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
10. पर्यावरण सेवा
11. वित्तीय सेवाएं
12. शिक्षा सेवाएं

विनिर्माण को बढ़ावा देने की सरकार की रणनीतिक पहल:

- भारत सरकार संभावित निवेशकों की पहचान करने के लिए मेक इन इंडिया कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निवेश सुविधा के तहत निरंतर प्रयास कर रही है।
- सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP), राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP), भारत औद्योगिक भूमि बैंक (IILB), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS) और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) जैसी कई नीतिगत पहल शुरू की हैं।
- निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में परियोजना विकास कक्ष (PDS) स्थापित किए गए हैं।

- इसके अलावा, 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे उत्पादन, कौशल, रोजगार और निर्यात में वृद्धि की उम्मीद है। अब तक 764 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की पहले:

- सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें जीएसटी लागू करना, कॉर्पोरेट कर में कटौती, व्यापार करने में आसानी में सुधार, एफडीआई नीति में संशोधन, अनुपालन बोझ कम करना, सार्वजनिक खरीद आदेशों के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, चरणवद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) शामिल हैं।